IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

सामाजिक परिदृश्य में महिलाएं: कल और आज

*इशिता सिंह, विधि विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

**डॉ. रानी दुबे, सह–आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म. प्र.)

सारांश

मानव के उत्थान तथा विकास के साथ इतिहास में पुरुषों ने महिलाओं पर प्रभुत्व को कभी सुनिश्चिता के साथ, कही लोकोक्तियों के रूप में और कुछ अवसरों पर व्यथा, मनोवेदना और चिंता के साथ अभिलिखित किया है। महिलाओं को कही सम्मानजनक, विभूषणों से मंडित किया गया हैं , कही अपमान जनक स्थिति में जैसे द्वापर युग में, द्रौपदी को राजसभा के सामने अत्यन्त अपमानजनक स्थिति में लाया गया। त्रेता युग में सीता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा । वैदिक काल में गार्गी, मैत्रयी और लोपामुद्रा जैसी कई विदुषी महिलाएं भी थीं। परन्तु उत्तर वैदिक काल और मध्यकाल, ब्रिटिश काल में एक समानता रही पुरुष या पितृसत्तात्मकता की जिस मनोभावना के कारण सांस्कृतिक, सामाजिक , आर्थिक रूप से स्त्री हमेशा पुरुषों के अधीन रही एवं अपने अस्तित्व को समग्र रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पायीं । परन्तु स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया , जिसके फलस्वरूप परिवर्तन आया। परन्तु यह परिवर्तन अभी पूर्ण महिला वर्ग में नहीं आया है, अभी भी ग्रामीण इलाकों में विशिष्ट समाजों में यह परिवर्तन आना शेष है। प्रस्तुत शोध आलेख में पृथक –पृथक कालों में महिलाओं की क्या सामाजिक स्थिति रही है उस परिदृश्य का विवेचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है ।

मुख्य शब्दावली: माहिलाओं की सामाजिक स्थिति, वैदिक काल में स्त्री, मध्य काल में स्त्री और वर्तमान परिदृश्य में स्त्री ।

प्रस्तावना

प्राचीन काल से ही महिला सशक्तिकरण मानव संस्कृति का केंद्रीय विषय रहा है। महिला सशक्तिकरण का इतिहास पूरे मानव समाज के विकास को दर्शाता है, जिसकी शुरुआत वैदिक काल से होती है जब उन्हें विद्वान, दार्शनिक और नेता के रूप में महत्व दिया जाता था और यह मध्यकाल के प्रारंभ तक जारी रहा, मध्यकाल के बाद स्थिति में काफी गिरावट आई और वर्तमान युग के साथ समाप्त हुई ।प्राचीन भारतीय ग्रंथों में महिलाओं के बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान को अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। गार्गी महिला वाचस्पति, मैत्रेयी और लोपामुद्रा जैसी महिला विदुषियों का उल्लेख ऋग्वेद और उपनिषदों में किया गया है, जहाँ उन्होंने दार्शनिक चर्चाओं और वाद–विवादों में भाग लिया था। हालाँकि, सामंती व्यवस्था और मध्ययुगीन आक्रमणों की शुरूआत के साथ भारत में महिलाओं की स्थिति में भारी गिरावट देखी गई । उनके अधिकारों, और शिक्षा को प्रतिबंधित कर दिया गया । बाल विवाह, सती और पर्दा प्रथा जैसी प्रथाओं

ने उनकी स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन पूरे इतिहास में, अहिल्याबाई होल्कर, रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई जैसी मजबूत महिलाओं ने इन अपेक्षाओं को चुनौती दी और महिलाओं की अटूट शक्ति का प्रदर्शन किया। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सावित्रीबाई फुले जैसे दूरदर्शी लोगों ने समकालीन काल में सामाजिक–धार्मिक परिवर्तनों की लहर का नेतृत्व किया, महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और अरुणा आसफ अली जैसे नेताओं ने शक्ति और प्रतिशोध के प्रतीक के रूप में उभरने के साथ– साथ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी को प्रेरित किया।

सामाजिक परिदृश्य में महिलाएं

प्राचीन काल में स्त्री

भारतीय समाज में नारी की स्थिति समय, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। वैदिककाल, मध्यकाल, आधुनिक काल तीनों ही काल में नारी की स्थिति अलग–अलग रही हैं। वैदिककाल में यदि हम नारी की स्थिति का अवलोकन करते है तो वहॉ मनुस्मृति के तृतीय अध्याय में कहा गया है कि **"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ।। मनुस्मृति 3. 56** अर्थात् जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ समस्त अच्छी से अच्छी क्रिया (कर्म) निष्फल हो जाते है। अर्थात् वैदिककाल में स्त्री का सम्मान, आवश्यकताओं, अपेक्षाओं की पूर्ति करना, परिवार, समाज का दायित्व था। माना जाता था कि यदि उनके प्रति तिरस्कार मय व्यवहार किया जाता है तो वहॉ देवकृपा नहीं रहती है। अर्थात् हजारों वर्ष पूर्व हमारी वैदिक सभ्यता में नारी को उत्कृष्ट स्थान प्राप्त था। प्रारंभ से ही स्त्रियों को कई अधिकार प्राप्त थे, नारियॉ वेद पढ़ती और पढ़ाती थीं । लगभग 30 ऋषि महिलाएँ थी, वे शास्त्रों में प्रशासनिक कार्यो में युद्ध कला सभी में निपुण थीं । हमारे यहॉ नारी को ही शक्तिस्वरूप माना गया है। शक्तिस्वरूपा दुर्गा, धन–धान्य स्वरूपा लक्ष्मी, विद्यास्वरुपा सरस्वती, सभी नारी शक्ति को ही प्रतिनिधित्व करती हैं । वैदिक काल में स्त्रियों के अन्य कार्य में भी पारंगत होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उस काल में कन्याएँ एवं स्त्रियॉ अपना सर्वांगीण विकास करने हेतु तत्पर रहती थी । स्त्रियाँ नृत्यकला एवं वैदिक ऋचाओं का सस्वर वाचन करती थीं, जिससे वर्णो के रसास्वादन की अनुभूति होती थी, साथ ही स्त्रियाँ सूत काटना, कपड़े बुनना आदि सभी कार्य करती थी। अतः नारी को सभी क्षेत्रों जैसे – शिक्षा, यज्ञ, विवाह, जीवन–निर्वाह, अभिव्यक्ति व विचरण आदि की स्वतन्त्रता प्राप्त थी । जो उनके प्रति सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ऋग्वैदिक काल में स्त्री की स्थिति जितनी ऊँची थी, उतनी किसी काल में नहीं रहीं। यदि हम ऐसा कहे तो शायद अतिश्योक्ति नहीं होगी। ऋग्वैदिक काल में नारी को पुरूषों की भाँति ऋषि बनने का पूर्ण अधिकार था एवं स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्राशाला का वर्णन मिलता है। पतंजलि के द्वारा औद्यमेद्या आचार्य का उल्लेख प्राप्त करने वाली छात्राएं औधमेधा कहलाती थी। आर्थिक रूप से भी नारी सामर्थ्यवान थी, तैतरीय ब्राह्मण में वर्णित है **"पत्नी वै पारिणाहास्य ईशः**। अर्थात् वह वस्तुए जो भेंट के रूप में नारी को प्राप्त हो रही हैं, उन वस्तुओं पर नारी का पूर्ण अधिकार है। नारी को सम्पत्ति के अनेक अधिकार प्राप्त थे। विवाह के समय पति के द्वारा यह कहा जाता था कि वह आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार से अपनी पत्नि के अधिकार एवं उसके हित पर अतिक्रमण नहीं करेगा, साथ ही अथर्ववेद में विधवा स्त्री हेतु धन की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। जो कन्याएँ विवाह नहीं करती थीं और अपने पिता के घर में जीवनयापन करती थी उनके लिए उनके पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त था । इसका उल्लेख ऋगवेद की ऋचा 10.85.13 में मिलता है। वैदिकाल काल में युद्ध भूमि में भी नारियों का जाना वर्णित है। महर्षि मुद्गल की पत्नी का

अपने पति के साथ युद्ध भूमि में जाना एवं अपने शौर्य एवं पराक्रम से सभी को अभिभूत करने का वर्णन प्राप्त होता है। सामाजिक रूप से उस समय पर्दा प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। समारोहों, विवाह, धार्मिक आयोजनों, उत्सवों, गोष्ठियों में स्त्रियों को अपने विचारों का आदान– प्रदान करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। यहॉ तक कि नारियों को स्वयंवर करने का अधिकार प्राप्त थी। ऋग्वेद के 10.89.33 में यह वर्णित है। वैदिकाकल में कई विद्वान स्त्रियों, जैसे लोपामुद्रा, घोषा और अपाला थीं जिन्होनें कुछ वैदिक छंदों का संकलन स्वयं किया था।

विदुषी मैत्रयी महर्षि याग्यवलक्य की पत्नी थी। इन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया था। वृहदारण्यकोषनिष्द में स्त्री को सृष्टि की रिक्तता को पूर्ण करने वाली कहा गया है। "स्त्री ही ब्रह्मवभूविध" ऋग्वेद में स्त्री को ब्रह्मा की संज्ञा से विभूषित किया गया है। हालॉकि उत्तर वैदिकाल ईसा के 600 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा के 300 वर्ष बाद तक का युग उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इस काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगी थी। धार्मिक अधिकारों एवं और भी प्रतिबंधात्मक निर्देश लगना शुरू हो गये थे। महिलाओं की स्थिति अस्पष्ट कारणों से बदल गयी, विद्वानों का मानना है कि नई संस्कृतियों के साथ सामाजिक जुड़ाव ने व्यक्तियों को विशिष्ट मानदण्डों के आधार पर महिलाओं पर सीमाऍं लगाने के लिए प्रेरित किया।

मध्यकाल में स्त्री

इस काल में महिलाओं की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक सभी स्थितियों में आश्चर्यजनक रूप से बदलाव आया खासकर उत्तरी भारत में, इस काल में जाति व्यवस्था की कठोरता बढ़ने के कारण भी महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हुआ। उत्तर भारत में 700 से 1100 ई0 के बीच सती प्रथा अधिक प्रचलित हो गयी थी, बाल–विवाह पर जोर दिया जाने लगा, पुर्नविवाह किन्हीं विशेष परिस्थितियों में मान्य था। स्त्रियों पर पिता, भाई, पति का नियंत्रण रखा जाता था। उच्च वर्ग की महिलाओं को शिक्षा और अपने पति चुनने का अधिकार था परन्तु कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों की जीत ने महिलाओं की स्वतंत्रता पर बहुत अधिक प्रभाव डाला। पर्दा प्रथा, जौहर प्रथा, बाल विवाह आदि सभी प्रथाऍं मुगल शासकों के उपरान्त ही प्रबल हुई। वास्तव में भारतीय इतिहास के अनुसार गुप्त साम्राज्य के अंत में जो 6 वीं शताब्दी ई. में था, और यहीं से मुगल साम्राज्य की शुरूआत हुई। मध्यकाल को प्राचीनकाल और आधुनिक काल के बीच की कड़ी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रारंभिक मध्यकाल 6 से 13 वीं शताब्दी तक और बाद का मध्यकाल 13 से 16 वीं शताब्दी के बीच की अवधि है। पर्दा प्रथा ने मध्यकालीन भारत में स्त्रियों की दशा को सबसे अधिक प्रभावित किया। फिर भी इस काल में कुछ महिलाऍं हुई जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए जिनमें कवयित्री मीराबाई, रजिया सुल्तान 13 वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की शासक थी उन्होंने मध्यकालीन भारत में महिलाओं की पारम्परिक स्थिति को चुनौती दी। अवका महादेवी (12 वीं शताब्दी) कन्नड़ कवियत्री द्वारा पारम्परिक लिंग मानदण्डों पर सवाल उठाए और समानता और आध्यात्मिक मुक्ति को प्रोत्साहित किया। बहु पत्नी प्रथा भी समाज में व्याप्त हो गई थी। विदेशियों के आगमन से स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आयी। अशिक्षा और रूढ़ियॉ जकड़ती गयीं, घर की चार दीवारी में कैद होती गयी और नारी एक अवला, रमणी और भोग्या बनकर रह गई। आर्यसमाज, ब्रह्म समाज, स्वामीदयानंद, सरस्वती, राजा राम मोहन राय आदि कुछ समाजसेवियों ने इस सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके फलस्वरूप सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, 1856 में हिन्दू पुर्नविवाह अधिनियम, 1891 में एज ऑफ कन्सेन्ट बिल 1891 में ही बहु विवाह रोकने के लिए वटिव मैरिज एक्ट पास कराया, जिसके फलस्वरूप तुलनात्मक रूप से स्त्रियों की स्थिति में सकारात्मक रूप से परिवर्तन आया। जिसके फलस्वरूप स्त्री जागरूकता में वृद्धि हुई और नए नारी संगठनों का सूत्रपात हुआ जिसकी मुख्य मांग स्त्रियों की शिक्षा, दहेज, बाल–विवाह आदि कुरीतियों पर रोक, महिला अधिकार की मांग की गई। स्वामी विवेकानंद

ने कहा था **"जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक दुनिया के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। एक पक्षी के लिए केवल एक पंख पर उड़ना संभव नहीं है।"**३

आधुनिक काल में स्त्री

ऐतिहासिक दृष्टि से 1750 ई0 के बाद के काल को आधुनिक काल के रूप में जाना जाता है। इस अवधि के दौरान भारतीय महिलाओं की स्थिति को दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है –

1– भारत में ब्रिट्रिश शासन के दौरान महिलाओं की स्थिति:– प्लासी के निर्णायक युद्ध (1775 ई0) में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद ब्रिट्रिश लोगों ने भारतीय लोगों पर अपना पूर्ण वर्चस्व स्थापित कर लिया था, इस दौरान भारतीय समाज की सामाजिक, आर्थिक संरचना में काफी बदलाव हुए। यद्यपि इस अवधि के दौरान महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता कमोवेश एक जैसी ही रही, लेकिन शिक्षा, रोजगार, सामाजिक अधिकार आदि में पुरूर्षो और महिलाओं के बीच असमानताओं को समाप्त करने में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कुछ सामाजिक बुराइयॉ जैसे बाल–विवाह, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा, पुर्नविवाह पर रोक आदि जो महिलाओं की प्रगति के मार्ग में एक बड़ी बाधा थी, उन्हें उचित कानूनों द्वारा या तो नियंत्रित किया गया या हटा दिया गया। कई शताब्दियों के बाद पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए कुछ प्रयास किए गए। एक और देशभक्ति की भावना रखने वाले समाज सुधारकों और दूसरी ओर ब्रिट्रिश सरकार ने मिलकर महिलाओं की स्थिति सुधारने और उनकी कुछ कमियों को दूर करने के लिए कई कदम उठायें। राष्ट्रीय आंदोलनों में सैकड़ों हजारों महिलाओं ने अपने घूँघट उतारे और पुरूषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम किया।

स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति

स्वतंत्रता के बाद से भारतीय महिलाओं की स्थिति में अचूक परिवर्तन हुए हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन होने के कारण महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और राजनैतिक क्षेत्रों में भागीदारी के समान अवसर प्रदान किए गए। महिलाओं की उन्नति आधुनिक भारत का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। वर्ष 1953 में श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया। यह भारतीय नारीत्व के लिए सबसे गौरव पूर्ण श्रेणी में से एक था। प्रशासन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, शिक्षा, साहित्य, संगीत, चित्रकला और अन्य ललित कलाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। महिलाओं के हितों के कई महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान और कानून बने।

भारत के संविधान ने भारतीय महिलाओं को पुरूषों के बराबर दर्जा देकर उनकी स्थिति को बहुत ऊँचा किया है, भारत के सभी पुरूष और महिलाएँ – व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों के लिए समान रूप से हकदार है। संविधान में लैंगिक समानता का प्रावधान है और महिलाओं को शोषण से सुरक्षा प्रदान की गयी है। महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया है और किसी भी तरह से महिलआओं को दूसरे दर्ज का नागरिक नहीं माना है। महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए कई सामाजिक कानून बनाए गए। जैसे –

1– हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, यह बहु विवाह, बाल विवाह, बहुपतित्व पर प्रतिबंध लगाता है तथा महिलाओं को तलाक और पुर्नविवाह का समान अधिकार देता है।

2– हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, यह महिलाओं को पैतृक सम्पत्ति में स्थान प्रदान करता है।

3– हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम 1956

4– विशेष विवाह अधिनियम 1954

5– दहेज निषेध अधिनियम 1961

अन्य कानून –

1– महिलाओं एवं बालिकाओं के अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956

2– गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971

3– आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1984

4– परिवार न्यायालय अधिनियम आदि।

इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी आवश्यक अचूक परिवर्तन हुए है, लड़कियों का प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन लड़कों से बेहतर साबित हो रहा है। शिक्षा और रोजगार में महिलाओ ंको आर्थिक स्वतन्त्रता और आत्म पहचान का अहसास कराया है। महिलाओं के आर्थिक हितों और अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार ने भी कई सामाजिक आर्थिक कानून बनाए हैं, जिनमें सम्पत्ति या विरासत के अधिकार, समान वेतन, काम करने की स्थिति, मातृत्व लाभ आदि कई शामिल है। जिससे उनका आत्म सम्मान और आत्म विश्वास बढ़ा है।

महिलाएँ अब सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही है जिससे पितृसत्सामक दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है, वैश्विक स्तर पर भी महिलाओं की स्थिति पहले से सशक्त हुई है। अभी हाल का ही आपरेशन सिन्दूर हमले के तो मीड़िया ब्रोकिंग का नेतृत्व भारतीय सशस्त बलों की दो वरिष्ठ महिला अधिकारियों, भारतीय वायुसेना (आई.ए.एफ.) की विंग कमाण्डर व्योमिका सिंह और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने किया।

उपसंहार –

प्राचीनकाल में नारी को शक्ति का रूप माना जाता था। प्राचीन वेदों से ज्ञात होता है कि नारी समाज का मूल आधार थी, परन्तु विदेशियों के आक्रमण के पश्चात् सामाजिक परिस्थितियॉ परिवर्तित होती गयी और नारी पर नियंत्रण लगना प्रारंभ होते गए, धीरे–धीरे उसे समाज में भोग्या के रूप में जाना जाने लगा परन्तु आधुनिक काल में पुनः नारी जागरण के लिए कई समाज सुधारक आगे आए। आंदोलन हुए और स्त्री ने अपनी खोयी हुई अस्मिता को प्राप्त करने का प्रयास जारी रखा आज नारी समाज में दया की पात्र न होकर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परचम फहरा रही है और पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर नव समाज का सृजन कर रही है।

"भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में *"हमारे लिए महिलाएँ न केवल घर की रोशनी है बल्कि इस रोशनी की लौ भी है। अनादिकाल से ही महिलाएँ मानवता की प्रेरणा का स्त्रोत रही है।"*

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1– "वैदिककाल में नारी एवं उसकी सामाजिक स्थिति" डॉ. सत्येन्द्र सिंह, शिवम् तिवारी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस रिसर्च।

2– वृहदारण्यकोण 1.4.3.

3– मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति : धार्मिक और सांस्कृतिक कारक

4– मध्यकाल में महिलाओं को स्थिति डॉ. सीमा पाण्डेय इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आर्ट्स एंड एजुकेशनल रिसर्च नवंबर दिसंबर 2021 अंक–3।

5– महिला सशक्तिकरण के नए आयाम:– सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिप्रेक्षय में – 2011

6– अल्टेकर, ए.एस. (1938). द पोजीशन ऑफ वूमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन. मोतीलाल बनारसीदास.

7 – कपूर, एम. (1993). द वैदिक वूमेन ए क्रिटिकल स्टडी. दीप एंड दीप पब्लिकेशंस.

8 – प्रसाद, आर. (1994). वूमेन इन एंशिएंट इंडिया. कनिष्क पब्लिशर्स

9 – सिंह, जी. (2007). सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया. हर–आनंद पब्लिकेशंस.

10 – मजूमदार, आर.सी. (1963). हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खंड 2– फर्मा के.एल. मुखोपाध्याय